

(13)

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय: हल्द्वानी (नैनीताल)
कुलसचिव कार्यालय

संख्या: यू0ओ0यू0/आर/BOS/संस्कृत/कार्या.ज्ञा./2019/

दिनांक: 17.06.2019

कार्यालय ज्ञाप

विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय पाँच 'विश्वविद्यालय के प्राधिकारी' के अन्तर्गत अन्य प्राधिकारी परिनियम 16 (1) में प्रत्येक विषय में एक अध्ययन बोर्ड होगा जो विश्वविद्यालय का प्राधिकारी होगा प्राविधानित है। मा0 कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त मानविकी विद्याशाखा के अन्तर्गत संस्कृत विषय के अध्ययन बोर्ड का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

1. प्रोफेसर एच0पी0 शुक्ल, निदेशक, मानविकी विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी। अध्यक्ष
2. प्रोफेसर रमाकान्त पाण्डेय, निदेशक, मुक्त स्वाध्याय पीठम्, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली। सदस्य
3. प्रोफेसर बृजेश पाण्डेय, विशिष्ट संस्कृत अध्ययन केन्द्र, जे0एन0यू0, नई दिल्ली। सदस्य
4. प्रोफेसर के0एन0 पाण्डेय, संस्कृत विभाग, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, एस0एस0जे0 परिसर, अल्मोड़ा। सदस्य
5. डॉ0 देवेश कुमार मिश्रा, सहायक प्राध्यापक, संस्कृत, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी। सदस्य

उक्त सदस्यों का कार्यकाल अध्ययन बोर्ड के गठन की तिथि से आगामी दो वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा।

कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित:-

1. अध्ययन बोर्ड के उपर्युक्त सभी सदस्यों को सूचनार्थ।
2. कुलपति जी के वैयक्तिक सहायक को मा0 कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
3. वित्त नियंत्रक।
4. सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ।
5. संबंधित पत्रावली।

कुलसचिव

संस्कृत विषय के बी०ए० द्वितीय, तृतीय व एम०ए० द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम निर्माण हेतु आयोजित अध्ययन परिषद की बैठक का कार्य वृत्त -

उक्त अध्ययन परिषद में निर्णीत तथ्यों के विवरण इस प्रकार है -

1. उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी भाषा विद्या शाखा संस्कृत विभाग द्वारा आयोजित दिनांक 3.11.2012 को अध्ययन परिषद की बैठक में संस्कृत विषय को एकल विषय के रूप में चलाये जाने की तथा एम०ए० संस्कृत में किसी भी विषय में उत्तीर्ण स्नातक को प्रवेश दिये जाने हेतु कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी। जिसमें यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त तथ्य को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जाय।
2. स्नातक समस्त व स्नातकोत्तर संस्कृत के इकाई लेखकों तथा प्राशिनकों की सूची तैयार कर संस्तुत की गई।
3. बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि निर्मित पाठ्यक्रम में इकाईयों के शीर्षक में आवश्यकतानुसार सम्बन्धित विद्याशाखा के निदेशक से अनुमति प्राप्त कर यथा संभव परिवर्तन किया जा सकता है।
4. अध्ययन परिषद में निर्णीत इकाई लेखकों/सम्पादकों एवं प्राशिनकों की सूची में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त नामों के समायोजन हेतु विद्याशाखा के निदेशक को अधिकृत किया गया। इस हेतु विषय प्रभारी उनकी अनुमति प्राप्त कर लेखन कार्य एवं प्रश्नपत्र निर्माण कार्य करा सकते है।
5. बैठक में बी०ए० संस्कृत द्वितीय वर्ष के दो प्रश्नपत्रों एवं तृतीय वर्ष के दो प्रश्न पत्रों तथा एम०ए० संस्कृत द्वितीय वर्ष के कुल पाँच प्रश्न पत्रों के पाठ्यक्रम को निर्मित कर संस्तुति हेतु निर्णय लिया गया। उक्त पाठ्यक्रमों में एम०ए० द्वितीय वर्ष के पाँचवे प्रश्न पत्र में 50 अंकों का लघुशोध तथा 50 अंकों में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति से संबन्धित पाठ्यक्रम होगा। जिसकी लिखित परीक्षा होगी।
6. अध्ययन परिषद में पाँचवें प्रश्न पत्र को लघु शोध के प्रश्न पत्र के रूप में संस्तुत किया गया जिसमें यह निर्णय लिया गया कि उक्त प्रश्न पत्र के चयन करने वाले छात्रों को विश्वविद्यालय के विभाग से निरन्तर सम्पर्क में रहते हुए लघु शोध का कार्य करना होगा। दूरस्थ अध्ययन केन्द्रों में प्रवेश प्राप्त किये हुए छात्र भी यदि लघु शोध के प्रश्न पत्र का चयन करते है तो अपने केन्द्र संचालक के माध्यम से विषय के विभागाध्यक्ष से सम्पर्क कर उक्त कार्य करने होंगे।
7. उक्त अध्ययन परिषद में पूर्व में निर्मित बी०ए० संस्कृत प्रथम वर्ष व एम०ए० संस्कृत प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रमों के लेखन एवं प्रकाशन की गई पुस्तकों में सम्बन्धित इकाईयों के शीर्षकों के संशोधित स्वरूप की कार्योत्तर संस्तुति दी गई।
8. अध्ययन परिषद की बैठक के अवसान में निदेशक भाषाविद्याशाखा द्वारा आभार एवं धन्यवाद ज्ञापन कर बैठक का समापन किया गया।
9. विभाग समन्वयक को अधिकृत किया गया कि पाँचम प्रश्न पत्र के वैकल्पिक प्रश्न पत्र को इकाईयों में विभाजित कर संलग्न करें।

हस्ताक्षर -

03/11/12

03/11/12

S. Bajpai
3.11.12

03/11/12

03/11/2012

03/11/2012